# भू-मापक (अमीन) सह
# सर्वे नियम प्रशिक्षण कार्यक्रम

## निर्देशिका एवं पाठ्यक्रम तालिका
## (Syllabus)

**Directed by :**

## ग्रामीण विकास सह समाज कल्याण सेवा संस्थान

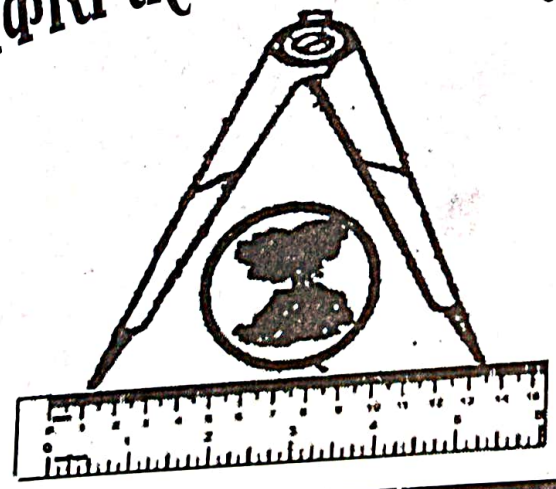

**Regd. by : central Govt. Act XXI 1860 (R.N. 1390/07-08)**

**Control Office - Khagaria**

नामांकन/प्रशिक्षण प्रभारी का मोबाईल नं०-

कोराना वायरस (Covid-19)
दो गज की दूरी - मास्क है जरूरी

सत्र-2024-25

**Price Rs. - 20/-**

# "रोजगार के बढ़ते कदम"

आज के इस युग में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण शिक्षित बेरोजगारों के लिए तकनीकी स्वरोजगार कार्यक्रम चलाने के लिए ग्रामीण विकास सह समाज कल्याण सेवा संस्थान द्वारा किसानों एवं शिक्षित बेरोजगार युवको के लिए तकनीकी शिक्षा भू-मापक (अमीन) सर्वे नियम प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के अन्तर्गत जमीन मापने की विधी, नक्सा, खतियान, खाता, खेसरा, रकवा (क्षेत्रफल) एवं जमीन बटवारा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी, योग्य एवं कुशल अनुदेशक के माध्यम से दिया जायेगा। साथ ही आपलोग के बीच प्रेरित कर अल्प समय में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आपके क्षेत्र में चलाया जा रहा है।

अतः इस अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्राप्त कर आप लाभान्वित होकर अपनी बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को दूर करें साथ ही साथ जमीन जायदाद के क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए कृष्क बन्धु एवं शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति भूमि संबंधि प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना आर्थिक दृष्टिकोण से स्वरोजगार में आगे बढ़ सकते है। समय-समय पर होने वाली समाज में, घर में या शहर में विंवाद के कारण जमीन जायदाद ही मुख्य कारण होता है। इस प्रशिक्षण को पाकर एक अच्छे कुशल अमीन बनकर अपने जमीन संबंधि अधिकार को समझकर अपनी अहम भूमिका ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निभा सकते है एवं इस रोजगार को अपना कर स्वावलंबी (आत्मनिर्भर) अमीन बनकर जीविकोपार्जन का साधन असानी से बना सकते है तथा सरकार द्वारा चलाये जा रहे योजना में, संविदा के आधार पर अमीन का कार्य में प्राथमिकता मिल सकती है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम कचहरी में भी अमीन के पद पर कार्य कर सकते है। इस शुभ कौशल विकास कार्य के लिए संस्था के अध्यक्ष नरेश महतो धन्यवाद ज्ञापन करता है।

**नरेश महतो**

**अध्यक्ष**

**ग्रामीण विकास सह समाज कल्याण सेवा संस्थान**

**नियंत्रण कार्यालय- खगड़िया**

## -: निर्देश :-

# नामांकन एवं प्रशिक्षण संबंधित आवश्यक नियम

(1) नामांकन फार्म पाठ्यक्रम तालिका में संलग्न है।

(2) भू-मापक (अमीन) सह सर्वे नियम प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकन हेतू इच्छुक उम्मीदवार केन्द्र के प्रशिक्षण प्रभारी/ नामांकन प्रभारी से सम्पर्क कर अपना नामांकन निर्धारित तिथि के अन्दर करा लें अन्यथा 50/-रू० विलम्ब शुल्क के साथ नामांकन होगा।

(3) नामांकन कराते समय अपनी योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति तथा पासपोर्ट साईज का एक फोटो जमा करना आवश्यक होगा।

(4) भू-मापक (अमीन) सह सर्वे नियम प्रशिक्षण कार्यक्रम अवधि 50 दिनों की होगी।

(5) प्रशिक्षण अवधि में लगातार 5 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर उस प्रशिक्षणार्थी का नाम उपस्थिति पंजी से हटा दिया जायेगा।
पुनः नामांकन के लिए 25रू० शुल्क जमा करना होगा।

(6) कार्यालय द्वारा लिया गया किसी प्रकार का शुल्क वापस नहीं होगा।

(7) प्रशिक्षण कार्य संबंधित नामांकन प्रभारी, प्रशिक्षण प्रभारी के निर्धारित समयानुसार ही मान्य होगा।

(8) सैद्धांतिक प्रशिक्षण के बाद जमीन पर पैमाईस एवं नक्शा बनाने का कार्य सम्मपादित होगा। प्रयोगिक प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति कम से कम 80% वर्ग में अनिवार्य होगी।

(9) प्रशिक्षण व परीक्षा समाप्ति के पश्चात 30 दिनों के अन्दर भू-मापक (अमीन) सह सर्वे नियम प्रशिक्षण से संबंधित प्रशिक्षण से संबंधित प्रशिक्षित होने का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

## -: शुल्क विवरण :-

प्रशिक्षण अवधि 50 दिनों की होगी।

प्रशिक्षण शुल्क 250 रू० (दो सौ पचास रूपये)

नोट - SC/ST विकलांग एवं महिलाओं के लिए नामांकन के समय 50 रू० की विशेष छुट होगी। परीक्षा शुल्क समिति के निर्णयानुसार अलग से देय होगा।

## विषय सूची (Subject List)

| | विषय | पूर्णांक |
|---|---|---|
| 1. | किस्तवार (Kistwar) | 100 |
| 2. | खानापुरी (Khanapuri) | 100 |
| 3. | चकबंदी (Chakbandi) | 100 |
| 4. | अमानत गणित (Survey Math) | 100 |
| 5. | फिल्ड बुक से नक्शा बनाना Sketching map from field book | 100 |

## -: सैद्धान्तिक :-

# 1. किस्तवार एवं पैमाईश

(i) अमीन का परिचय दें एवं समाज में उसका क्या उत्तरदायित्व है ?

(ii) सर्वे में काम आने वाले सभी यंत्रो के नाम को परिभाषित करें जैसे-जरीब, गुनियाँ, सूजा, प्रकाल, डायग्नलस्केल, कंघी, ट्रॉक, दिशासूचक, यंत्र, राइटैंगिल, झंडी, लग्गी, टेप या फीता, नक्शा, लेंस, डायरी, ट्रेस पेपर, मेपिंग पेन इत्यादि ?

(iii) सर्वे के निशानों का वर्णन करें- तीन सीमानी, चार सीमानी, चन्दा या बाम्बा, मुस्तकिल, तीनमेढ़ा या चौमेढ़ा, तूदा, गोदा, दहला, पंजा इत्यादि।

(iv) सर्वे के दौरान पाये जाने वाले लाईनों का वर्णन करें :- ट्रावर्स, लाईन, बाउण्ड्री लाईन, मुरब्बा लाईन, सिकमी लाईन, चैन लाईन, तोखा लाईन, चेक लाईन, आसमानी या सरकटी लाईन, कैची लाईन इत्यादि।

(v) सर्वे से लाभ, जमीन का किस्म, छीटे अराजी, गाँव की बस्ती- के सर्वे का नियम ?

(vi) किस्तवार एवं पैमाईश किसे कहते है।

(vii) पहाड़ की ऊँचाई ज्ञात करना, कुआँ की गहराई निकालना, पेड़ की ऊँचाई ज्ञात करना, नदी की चौराई ज्ञात करना ?

(viii) सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ी वर्णन करें ?

(ix) सर्वे कितने प्रकार के हो चुके है ?

(x) सर्वे के जन्म दाता कौन है ?

## -: खानापुरी :-

(i) खानापुरी किसे कहते है ?

(ii) खानापुरी करते समय अमीन को किन-किन कागजातों की आवश्यकता पड़ती हैं।

(iii) खतियान किसे कहते है।

(iv) सभी प्रकार के खतियान का वर्णन करें एवं खतियान में कितने खाने होते है ?

(v) जमाबंदी रिजस्टर किसे कहते है तथा यह रजिस्टर किसके पास रहता है ?

(vi) वंशावली से क्या समझते है तथा पूर्वजों का वंशावली या कुर्सीनामा तैयार करें ?

(vii) बुझारत से आप क्या समझते है ?

(viii) दाखिल खारिज से आप क्या समझते है ?

(ix) शेष भेल्यूशन एवं जमीन निलामी के नियम को लिखें ?

(x) निम्न को परिभाषित करें :-

एरिया स्लीप तैयार करना, जमीन का पर्चा, रजिस्ट्री एवं दोवस्ती, सुदभरना, सरतीकेवाला का नियम, बटायदारी कानुन, खाता नं०, खेसरा नं०, तौजी नं०, जमाबंदी नं० मौजा नं०, मौजा का हल्का नं०, रजिस्टर-2 इत्यादि।

## -: चकबंदी :-

(i) चकबंदी किसे कहते है ?

(ii) चकबंदी अमीन, कानूनगो, प्रारूपकार, चकबंदी पदाधिकारी, सहायक चकबंदी पदाधिकारी, चकबंदी निर्देशक के कार्यो का वर्णन करे ?

(iii) चकबंदी करने का विधि क्या है ?

(iv) चकबंदी से लाभ ?

(v) सलाहकार समिति किसे कहते है ?

(vi) अधिकार एवं अभिलेख से क्या समझते है ?

(vii) बैबूलवफा या शर्तिया केवला किसे कहते है ?

(viii) चक पर कृष्क का अधिकार किस प्रकार दर्ज किय जाता है।

(ix) चक का प्रमाण पत्र वितरण करना ?

(x) नया एवं पुराना नक्शा में अंतर ज्ञात करना ?

(xi) फिरणी पथ किसे कहते है ?

## -: अमानत गणित :-

(i) जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रमुख सुत्र।
(ii) डिसमील से धुर, कट्ठा, बीघा निकालना।
(iii) धुर कट्ठा, बीघा से डिसमील ऐयर एवं हेक्टेयर निकालना।
(iv) लग्गी से बीघा, कट्ठा, धुर निकालना।
(v) जरीब, फीट, गज, मीटर, हाथ इत्यादि द्वारा डिसमिल, बीघा, कट्ठा, धुर, घुरकी, फूरकी, निकालने का नियम।
(vi) डी० धूर, कट्ठा, बीघा से लग्गी निकालना।
(vii) उच्चतम बिघा, कट्ठा, धुर में निम्नतम बिघा, कट्ठा, धूर को घटावें।
(viii) एक कट्ठा से एक बिघा तक बिकारी पद को बतावें।

## -: प्रयोगिक :-

(1) गुनियाँ प्रकाल की सहायता से नक्शा पर रकवा निकालना।
(2) नक्शा ट्रेसिंग पेपर पर ट्रेस करना।
(3) सर जमीन पर किये हुए कार्यो का फिल्ड बुक तैयार करना।
(4) नक्शा में दहला तैयार करना।
(5) कँधी, डायग्नल स्केल, टाँक एवं राइटैगिल के द्वारा प्रायोगिक कराना।
(6) मुस्तकील को शुद्ध करने का तरीका।
(7) बँटवारा :- (i) किसी प्लॉट को बराबर रकवा में बाँटना।
(ii) किसी प्लॉट से बीघा,कट्ठा, धुर निकालना।
(iii) किसी प्लॉट से डिसमील निकालना।

## भू-मापक (अमीन) सह सर्वे नियम प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य

(1) शिक्षित व्यक्तियों एवं किसानो को जमीन जायदाद अधिनियम से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना।

(2) समाज में बढ़ती हुई भूमि विवाद, लड़ाई, झगड़ा-झंझट आदि को अच्छी तरह से समझा बुझा कर निदान करना।

(3) यह प्रशिक्षण प्राप्त कर ग्रामीण क्षेत्रों में भू-मापक (अमीन) का कार्य कर के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन बना सकते है।

(4) ग्रामीण समुदायक के बीच जमीन जायदाद, अचल सम्पति के प्रति जागरूकता लाना संस्था का मुख्य उद्देश्य होगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक अधिकार अधिनियम से संबंधित लाभ उठा सकें।

(5) शिक्षित युवकों, किसानो एवं महिलाओं द्वारा भू-मापक (अमीन) प्रशिक्षण प्राप्त कर जमीन को सही देखभाल एवं भूमि सुधार होने वाले हदबंदी, चकबंदी का आर्थिक लाभ को समझाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करना।

(6) जमीन संबंधि जानकारी जन-जन तक पहुँचाना मुख्य कार्य है।

(7) अमीन जमीन जायदाद संबंधी आज के बढ़ती हुई जमीन बँटवारा, आपसी विवाद, झगड़ा-झंझट से बचा सकते है।